

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली सामबार अ.स. 21, 1972/श्रावण 30 1894
No. 186] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 1972 SRAVANA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August 1972

No. F.5(10)-W&M/72.—Subscriptions for the issue of further tranches of the 4½ per cent Loan, 1979, 5 per cent Loan 1983 and 5-3/4 per cent Loan, 2002 (issued already in terms of the Government of India, Ministry of Finance Notification No. F.5(5)-W&M/72 dated the 29th June 1972) will be received from the 15th of September, 1972. Subscriptions will be in the form of cash and the issues will be closed without notice, as soon as it appears that the total subscriptions amount approximately to Rs. 215 crores (nominal) and in any case not later than the close of business on the 18th of September, 1972. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent in excess of the sum of Rs. 215 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 236.50 crores (Nominal), partial allotment will be made in respect of the loans on a proportionate basis. If partial allotment is made the excess subscriptions will be refunded as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

4½ PER CENT LOAN, 1979 ISSUED AT Rs. 100.00 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 15TH JULY 1979.

3. Date of repayment.—The Loan will be repaid at par on the 15th of July, 1979.

4. Issue Price.—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

5. Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 4½ per cent per annum from 15th September, 1972. Interest for the period 15th September 1972 to 14th January 1973 inclusive, will be paid on 15th January 1973 and thereafter payment of interest will be made half yearly on the 15th of July and 15th of January. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 13 and 14 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5 PER CENT LOAN 1983 ISSUED AT Rs. 99.50 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 15TH JULY, 1983.

6. Date of Repayment.—The Loan will be repaid at par on the 15th of July, 1983.

7. Issue Price.—The issue price will be Rs. 99.50 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

8. Interest.—The loan will bear interest at the rate of 5 per cent. per annum from the 15th September 1972. Interest for the period 15th September 1972 to 14th January, 1973 inclusive, will be paid on 15th January 1973 and thereafter payment of interest will be made half yearly on the 15th of July and 15th of January. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 13 and 14 below, be liable to tax under the Income-Tax Act, 1961.

5½ PER CENT LOAN, 2002 ISSUED AT Rs. 100.00 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 15TH JULY, 2002.

9. Date of repayment.—The loan will be repaid at par on the 15th of July, 2002.

10. Issue Price.—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (nominal) of the Loan applied for.

11. Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 5-3/4 per cent per annum from 15th September, 1972. Interest for the period 15th September 1972 to 14th January, 1973 inclusive will be paid on 15th January, 1973 and thereafter payment of interest will be made half yearly on the 15th of July and 15th of January. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 13 and 14 below, be liable to tax under the Income-Tax Act, 1961.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

12. Place of payment of interest.—Interest on the Loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any treasury or subtreasury elsewhere in India, except for the State of Jammu and Kashmir, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

13. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at rates prescribed by the Annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loans who are not liable to tax or who are liable to tax at a rate lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-Tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with reduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

14. Interest on all the Loans now issued together with interest on other previous Government securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to other provisions of Section 80L of the Income-Tax Act, 1961.

15. The value of investments in the Loans now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax upto Rs. 1,50,000.

16. The securities will be issued in the form of:—

- (i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or
- (ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

17. Applications for the Loans: Applications for the Loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

18. Applications will be received at:—

- (a) offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna,
- (b) branches of the subsidiary banks of the State Bank of India conducting Government treasury work except at Hyderabad; and
- (c) branches of the State Bank of India at other places in India.

19. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

20. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its subsidiary banks should be drawn in favour of the Bank concerned.

21. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the Loans tendered by them and bearing their stamp.

FORM OF APPLICATION

I/We
(Full name(s) in Block letters)

.....herewith tender *Cash Rs.....

Cheque for Rs.....and request that securities of 4½ per cent Loan 1979/5 per cent Loan 1983* /5-3/4 per cent Loan 2002* for the nominal value of Rs.....may be issued to me/us in the form of Promissory
Note(s)† Stock

Certificate

interest to be payable at.....

Signature.....

Name in full.....
(Block letters)

Address

Dated the of September 1972

NOTE:—

- (1) Separate application should be made for each Loan and each form of scrip (Stock Certificate for Promissory Note) of the Loan required.
- (2) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

- (3) If the application is made in the name of a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:—
- (i) Certificate of Registration/Incorporation,
 - (ii) Memorandum and Articles of Association or a certified copy of the Rules and Regulations/Bye-laws of the body/company.
 - (iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

*Delete what is not required.

†Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denominations required.

By order of the President,
B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 21 अगस्त, 1972

संख्या एक० 5(10)—डब्ल्यू. एण्ड एम०/72.—4¹/₂ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1979, 5 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1983 और 5¹/₂ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 2002 (जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० एक० 5(5)—डब्ल्यू एण्ड एम/72, दिनांक 29 जून, 1972 के अन्तर्गत पहले जारी किए गए थे) के निर्गमों की अगली किस्तों के लिए 15 सितम्बर 1972 से अभिदान लिये जायेंगे। अभिदान नकदी के रूप में लिये जायेंगे और ज्यों ही यह जान पड़ेगा कि अभिदानों की कुल रकम लगभग 215 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) हो चुकी है, त्यों ही निर्गम, बिना किसी सूचना के, बन्द कर दिये जायेंगे और हर हालत में ये निर्गम 18 सितम्बर, 1972 को काम बन्द होने के समय अवश्य बन्द हो जायेंगे। सरकार को 215 करोड़ रुपये की रकम से ऊपर 10 प्रतिशत तक अभिदान की रकम रख लेने का अधिकार होगा।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों के अभिदानों की कुल रकम 236.50 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से बढ़ जाए, तो ऋणों के सम्बन्ध में आनुपातिक आधार पर आंशिक आबंटन कर दिया जाएगा और यदि आंशिक आबंटन किया जाएगा तो अभिदान के रूप में प्राप्त अतिरिक्त रकम, आबंटन के बाद शीघ्रातिशीघ्र वापस कर दी जाएगी। इस प्रकार की वापस की गयी रकमों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 15 जुलाई, 1979 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 4¹/₂ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1979

3. वापसी की तारीख:—यह ऋण 15 जुलाई, 1979 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा।

4. निर्गम मूल्य:—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिये सौ रुपये होगा ।

5. ब्याज:—इस ऋण पर 15 सितम्बर, 1972 से 4 $\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा । 15 सितम्बर, 1972 से 14 जनवरी, 1973 तक की अवधि, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं, का ब्याज 15 जनवरी, 1973 को अदा किया जायेगा और उसके बाद ब्याज की रकम हर साल 15 जुलाई, और 15 जनवरी को छमाही किस्तों में अदा की जायेगी । नीचे दिये गये पैरा 13 और 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा ।

99. 50 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 15 जुलाई, 1983 को सममूल्य पर चुकाया जाने वाला 5 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1983

6. वापसी की तारीख :—यह ऋण 15 जुलाई, 1983 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा ।

7. निर्गम मूल्य:—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिये 99. 50 रुपया होगा ।

8. ब्याज:—इस ऋण पर 15 सितम्बर, 1972 से 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा । 15 सितम्बर, 1972 से 14 जनवरी 1973 तक की अवधि, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं, का ब्याज 15 जनवरी, 1973 को अदा किया जाएगा और उसके बाद ब्याज की रकम हर साल 15 जुलाई और 15 जनवरी को छमाही किस्तों में अदा की जाएगी । नीचे दिये गये पैरा 13 और 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा ।

100. 00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 15 जुलाई, 2002 को सममूल्य पर चुकाया जाने वाला 5 $\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 2002

9. वापसी की तारीख:—यह ऋण 15 जुलाई, 2002 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा ।

10. निर्गम मूल्य:—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक 100 रुपये (अंकित मूल्य) के लिये 100 रुपया होगा ।

11. ब्याज:—इस ऋण पर 15 सितम्बर, 1972 से 5 $\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा । 15 सितम्बर, 1972 से 14 जनवरी, 1973 तक की अवधि, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं, का ब्याज 15 जनवरी, 1973 को अदा किया जाएगा और उसके बाद ब्याज की रकम हर साल 15 जुलाई और 15 जनवरी को छमाही किस्तों में अदा की जाएगी । नीचे दिये गये पैरा 13 और 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा ।

अनुपूरक उपबन्ध

12. ब्याज की अदायगी का स्थान:—इस ऋण का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित सरकारी ऋण कार्यालयों में, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ कर भारत में अन्यत्र किसी राजकोष या उपराजकोष में तथा जम्मू और श्रीनगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के वेतन और लेखा कार्यालयों में चुकाया जाएगा।

13. ब्याज की अदायगी के समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार) काटी गयी कर की रकम की वापसी, ऋण देने वाले वे व्यक्ति ले सकेंगे जिन पर कर न लगता हो या जिन पर उस दर से कम दर पर कर लगता हो, जिसके अनुसार कर काटा गया है।

ऋण देने वाला व्यक्ति जिस पर कर न लगता हो अथवा जिस पर निर्धारित दर से कम दर के अनुसार कर लगता हो, अपने जिले के आयकर अधिकारी को आवेदनपत्र देकर उसमें ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेगा जिसके अनुसार उसे ब्याज की रकम, कर की रकम काटे बिना, या उस कम दर के अनुसार कर की रकम काटने के बाद मिल सकेगी, जो उस पर लागू होती है।

14. अन्य पिछली सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज सहित इस समय आमंत्रित सभी ऋणों पर मिलने वाले ब्याज पर तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से होने वाली आय पर आयकर नहीं लगेगा, किन्तु इस तरह की कर-मुक्त आय की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 3000 रुपये होगी और इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (ठ) के उपबन्ध भी लागू होंगे।

15. सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये पिछले निवेशों के मूल्य सहित इस समय आमंत्रित ऋणों में किये जाने वाले निवेशों का मूल्य और धन-कर अधिनियम की धारा-5 में उल्लिखित अन्य निवेश भी 1,50,000 रुपये तक धन-कर से मुक्त रहेंगे।

16. ये प्रतिभूतियां निम्नलिखित रूपों में जारी की जायेंगी :—

- (i) स्टॉक, जिसके लिए आवेदन करने वालों को एक-प्रमाणपत्र दिये जायेंगे, अथवा
- (ii) वचन-पत्र (प्रासिसरी नोट)।

यदि आवेदक अपनी पसन्द चाहिये न करेंगे तो प्रतिभूतियां वचन-पत्रों के रूप में जारी की जाएंगी।

17. ऋण के लिए आवेदन-पत्र—ऋण के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र अनिवार्यतः सौ रुपये या उसके गुणको के लिये दिए जान चाहिए।

18. ऋण के लिए आवेदन-पत्र निम्नलिखित स्थानों पर लिये जाएंगे :—

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना स्थित कार्यालय ;
- (ख) हैदराबाद शाखा को छोड़ कर, भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की वे शाखाएं जो सरकारी राजकोष का कार्य करती हैं; और
- (ग) भारत में अन्य स्थानों पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं।

19. आवेदन हम अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र (फार्म) के रूप में हो या किसी ऐसे अन्य रूप में हो जिसमें मांगी गयी प्रतिभूतियों की रकम और उनका विवरण, आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया हो, जहाँ से वह ब्याज की रकम लेना चाहता हो।

20. आवेदन-पत्रों के साथ आवश्यक नकद रकम या चैक भेजे जाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंकों में दिये जाने वाले चैक सम्बद्ध बैंक के नाम होने चाहिए।

21. मान्यता-प्राप्त बैंकों और दलालों को ऋण के लिए दिये गये उन आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में, जिन पर डाकी मुहर हो, किये गये आवंटनों पर 6 पैसे प्रति 100 रुपये (अंकित मूल्य) की दर से दलाली दी जाएगी।

आवेदन-पत्र

मैं/हम

(पूरा/पूरे नाम तक अक्षरों में)

इति पाय

रुपये नकद * _____ रुपये का चैक* पेश करता हूँ/करते हैं और प्रार्थना करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें 4½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1979*/5 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1983*/5½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 2002* की _____ रुपये के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों, स्टॉक-पत्र (1त्रों)/वचन-पत्र (1त्रों) ** के रूप में जारी की जाएं जिनका ब्याज _____ पर देय हो।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

(साफ अक्षरों में)

दिनांक

मिनामदर, 1972

पता

टिप्पणी : (1) प्रत्येक ऋण और अपेक्षित प्रत्येक ऋण के प्रत्येक प्रतिभूति-पत्र (स्टॉक-पत्र या वचन-पत्र) के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र दिए जाने चाहिए।

(2) यदि आवेदक के हस्ताक्षर के रूप में अंगुठे का निशान लगाया हो, तो उस पर दो गवाहों की तमदीक होनी चाहिए। गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ, उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पूरे पते दिए जाने चाहिए।

(3) यदि आवेदन-पत्र किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) संस्था के नाम से दिया जाए तो निवेश संबंधी आवेदन-पत्र के साथ नीचे लिखे दस्तावेज, यदि वे सरकारी ऋण कार्यालय से पहले से पंजीकृत न हों, लगा दिए जाने चाहिये:—

- (i) पंजीकरण/ निगमन का प्रमाण पत्र,
- (ii) निकाय/कम्पनी की बहिनियमावली और अतनियमावली या नियमों तथा विनियमों/उप-विधियों की प्रमाणित प्रति,
- (iii) निकाय/कम्पनी को ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कारबार करने के लिए प्राधिकृत किए गए व्यक्ति के हक में जारी किए गये संकल्प की प्रमाणित प्रति ।

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाए ।

**वचन-पत्र 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 25 000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये के मूल्य वर्गों के जारी किए जाएंगे । यहां पर उन खास मूल्य-वर्गों का उल्लेख किया जाएगा, जिनकी आवश्यकता हो ।

राष्ट्रपति के आदेश से,

बी० मैत्रेयन,
संयुक्त सचिव ।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स० 187]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 1972/श्रावण 31, 1894

No. 187]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 1972/SRAVANA 31, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd August 1972

SUBJECT.—Export of Railway Wagons.

No. 16-ETC(PN)/72.—Item Railway Wagons has been brought under Item No. 107 of Schedule I, Part B to the E(C)O, 1968 vide Exports (Control) Thirteenth Amendment Order 1972, published in the Gazette of India Extraordinary dated the 22nd August, 1972.

2. It has been decided to canalise the export of Railway Wagons through Projects & Equipment Corporation of India Ltd. with immediate effect.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.